

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प0 12 (26) वन/2019

जयपुर, दिनांक: 0 SEP 2019

आदेश


राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31 (1) (बी) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.09.2019 की अनुशंसानुसार निम्नलिखित सहायक वन संरक्षकगण को उपलब्ध उप वन संरक्षक (सीनीयर स्केल) की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यभार सम्भालने की तिथि से एल-16 (67300-195000) में उप वन संरक्षक (सीनीयर स्केल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नम अधिकारी सर्व श्री	चयन वर्ष	पदोन्नति तिथि	दि.वि.
1.	मनोज कुमार शर्मा	2019-20	01.04.2019	
2.	जगदीश प्रसाद दैया	2019-20	01.04.2019	
3.	राधेश्याम प्रजापति	2019-20	01.04.2019	
4.	घनश्याम गुप्ता	2019-20	01.04.2019	
5.	जगेन्द्र सिंह	2019-20	01.04.2019	
6.	भीमाराम चौधरी	2019-20	01.04.2019	
7.	मंगल सिंह राठौड़	2019-20	01.04.2019	
8.	सूर्यप्रकाश शर्मा	2019-20	01.04.2019	
9.	भीकाराम पूनिया	2019-20	01.04.2019	दिनांक 30.06.2019 को सेवानिवृत्त
10.	उम्मेद सिंह पूनिया	2019-20	01.04.2019	
11.	महिपाल सिंह जुगतावत	2019-20	01.04.2019	
12.	अशोक कुमार गुप्ता/राम कुमार	2019-20	01.04.2019	दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत्त
13.	भीमसिंह सोलंकी	2019-20	01.04.2019	
14.	भवानी सिंह	2019-20	01.04.2019	
15.	किशोर गुप्ता	2019-20	01.04.2019	
16.	अशोक कुमार जैन	2019-20	01.04.2019	
17.	वीरभद्र मिश्र	2019-20	01.04.2019	
18.	जयराम पाण्डेय	2019-20	01.04.2019	
19.	फुरकान अली खत्री	2019-20	01.04.2019	
20.	महेन्द्र कुमार	2019-20	01.04.2019	
21.	शैतान सिंह देवडा	2019-20	01.04.2019	
22.	रेखाराम	2019-20	01.04.2019	
23.	विजय प्रकाश	2019-20	01.04.2019	
24.	सुरेश मिश्रा	2019-20	01.04.2019	
25.	नरपत सिंह चारण	2019-20	01.04.2019	
26.	योगेश शर्मा	2019-20	01.04.2019	
27.	वीर सिंह ओला	2019-20	01.04.2019	

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के आगे अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नत है। उक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31(ए) के उप नियम 11(ए) में दिए गए प्रावधानानुसार किया जावेगा।


उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 1840/2014 ओम प्रकाश शर्मा व अन्य बनाम सरकार में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, वन मंत्री
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- ✓ 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान, जयपुर
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली


(जगदीश लाल मीणा)
सहायक शासन सचिव